

Central Office

MILYANGAN) (DIGRAGRA) POST-RAMPUR, RASRA, DISTRIGI-BAULKA, W.P. PIN-2237A2

Email:-shsp4india@gmail.com www.sbsp.ir

पत्राक SBSP/11/23

दिनाक 17 11 2023

सेवा मे,

श्री विनोद कुमार, सचिव चुनाव व्यय प्रभाग, रूम न0-321 ए, तृत्तीय तल, निर्वाचन सदन, अशोका रोड नई दिल्ली – 110001

विषय इलेक्ट्रॉल बाण्ड के सम्बध मे।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी रिजस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल पजीयन सख्या— रिज0स0— 56/43/2003/JSIII / आयोग से प्राप्त पत्र पत्राक सख्या—796/सीईओ—8—15/2—2018 दिनाक 03 11 2023 के क्रम मे यह कहना है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को किसी व्यक्ति या सस्थान से इलेक्ट्रॉल बाण्ड प्राप्त नहीं हुआ है।

सूचनार्थ पत्र आपको प्रेषित कर रहा हूँ जिसका सज्ञान धारण करने की कृपा करे।

भवदीय

अरबिन्द राजभर) राष्ट्रीय प्रमुख महासबिव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी

स्पीड पोस्ट द्वारा

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

चतुर्थ तल विकास भवन जनपथ मार्केट, लखनऊ-226001

संख्या 796/सीईओ-8-15/2-2018

दिनाक 03 नवम्बर, 2023

सेवा मे

अध्यक्ष / महासचिव / कोषाध्यक्ष समस्त रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, उत्तर प्रदेश।

বিষয় – <u>Submission of details in respect of electoral bonds- Hon'ble Supreme Court</u>
Order dated 2nd November, 2023-Regarding

महोदय/महोदया

कृपया उपर्युक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग के पत्र सख्या—76/Transparency/ /2017/PPEMS/VOL !! दिनाक 03 नवम्बर, 2023 के सा्थ सलग्न समसख्यक पत्र दिनाक 03 नवबर 2023 जो समस्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष / महासचिव / कोषाध्यक्ष को सम्बोधित है का अवलोकन करने का कष्ट करे।

2— भारत निर्वाचन आयोग ने Association for Democratic Reforms Vs Union of India (writ petition civil no 333 of 2015 with 880 of 2017,59 of 2018 and 434 of 2018) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाक 02 11 2023 के कम में समस्त राजनैतिक दलों को Electoral Bonds के माध्यम से दिनाक 30 09 2023 तक प्राप्त किये गये अशदान से संबंधित विवरण आयोग के पत्र में दिये गये पते "Sh Binod Kumar,(by name) Secretary, Election Expenditure Division, Room No 321A, Third Floor, Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001" पर डबल सीलबन्द लिफाफे पर "Confidential-Electoral Bond" अकित करते हुए दिनाक 15 11 2023 की साय 5—00 बजे तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं।

कृपया आयोग के पत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुरुप वॉछित सूचना दिनाक 15 11 2023 की साय 5-00 बजे तक अनिवार्य रूप से आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

सलग्नक यथोक्त

(मनीक्र्र्ट्रशुक्ल) संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

सख्या— (1) री०ई०ओ०—8 तद्दिनॉक प्रतिलिपि सचिव भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड नई दिल्ली को उनके पत्र दिनाक 03 11 2023 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

> (मनीष शुक्ल) सयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।